भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-51
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

†51. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अंतर्गत कोई प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत नहीं किया है;
(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और साथ ही वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत और जारी की गई राशि कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में, जिन्होंने अभी तक प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत बच्चों को दाखिला देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। **आरटीई अधिनियम**, 2009 के उपरोक्त प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देने हेतु, केंद्र प्रायोजित 'समग्र शिक्षा' योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत पहले प्रतिपूर्ति हेतु राज्य निधि से व्यय करना अपेक्षित है। इसके

बाद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में केंद्र से प्रतिपूर्ति हेतु निधि का दावा करना होता है। उनके प्रस्ताव के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) अन्य बातों के अलावा, दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त पर दावे को अनुमोदन देता है। बिहार सरकार ने प्रबंध पोर्टल के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपने एडब्ल्यूपीएंडबी में आरटीई अधिनियम, 2009 के उपरोक्त प्रावधान के तहत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के क्रियान्वयन हेतु आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा, साथ ही एडब्ल्यूपीएंडबी में दावा की गई और स्वीकृत राशि का विवरण, वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आरटीआई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत राज्य-वार प्रस्तावित एवं अनुमोदित कुल राशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25	
		दावा किया गया	अनुमोदित	दावा किया गया	अनुमोदित	दावा किया गया	अनुमोदित
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	98976758.00	0.00	16171452.00	0.00
2	चंडीगढ़	51.93	15.00	418.24	103.86	161.73	88.78
3	छत्तीसगढ	11453.91	7789.36	9710.02	9051.33	11086.49	13193.92
4	दमन और दीव	44.30	23.14	41.40	37.53	71.90	66.55
5	दिल्ली	12053.36	7932.71	10359.81	6994.61	11229.94	10068.39
6	गुजरात	41252.46	33091.92	58217.51	42252.48	64972.18	41140.44
7	हिमाचल प्रदेश	13.82	13.82	15.89	15.75	40.71	40.71
8	झारखंड	1080.08	692.17	793.92	679.68	931.36	931.36
9	कर्नाटक	20000.23	19180.60	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
10	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71	33.71
11	मध्य प्रदेश	34298.11	34289.00	38178.07	38157.18	40435.04	40433.75
12	महाराष्ट्र	15000.00	4290.96	12000.00	7675.43	13875.00	30847.19
13	ओडिशा	150.01	130.43	1520.24	664.15	2185.21	2157.84
14	राजस्थान	12747.98	17044.89	51877.49	46356.88	55089.05	55089.05
15	तमिलनाडु	37543.13	23919.17	22032.75	21091.79	26630.24	25617.15
16	त्रिपुरा	3.17	3.17	12.31	10.26	135.20	75.53
17	उत्तर प्रदेश	385.77	243.07	12363.39	9046.86	30832.00	30830.35
18	उत्तराखंड	12139.65	10033.43	13690.40	11843.66	15434.17	13484.37
स्रोत: प्रबंध							

*****